(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 2/2018- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि........ (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 684 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , -

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष कालम (3) की प्रविष्टि में, "सरकारी प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात "या सरकारी निकाय" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3क	अध्याय 99	संविधान के अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत किसी पंचायत को या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत किसी नगर निगम को सौंपे गए किसी कार्य से संबंधित किसी क्रियाकलाप के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय को दी जाने वाली माल एवं सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति जिसमें माल की उक्त संयुक्त आपूर्ति का मूल्य ऐसी आपूर्ति के मूल्य से 25 प्रतिशत से अधिक न हो ।	शून्य	शून्य";

(ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ख) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“(खक) शैक्षणिक संस्थान को एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स की ऑन लाइन आपूर्ति के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं, जो कि ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होगी जो निम्नलिखित सेवाएं दे रहे हों, -

(i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक या समकक्ष स्तर तक शिक्षा के माध्यम से या

(iस किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शिक्षा के माध्यम से

(घ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर “तीन वर्ष” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“20क	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लीयरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर वायुयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा	शून्य	इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी ।
20ख	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लीयरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर जलयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा	शून्य	इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी ।

(च) क्रम संख्या 23 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ख) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन जो कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के परिवहन की सेवा प्रदान करता हो जो कि विद्यालय पूर्व की शिक्षा और माध्यमिक स्तर या समकक्ष तक की शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करता है;”;

(छ) क्रम संख्या 30 के समक्ष और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"**30**क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	केन्द्र सरकार की सामूहिक बीमा योजनाओं के अंतर्गत तटरक्षक के कर्मचारियों को नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली या प्रदान किए जाने के लिए सहमति दी गई जीवन बीमा सेवाएं ।	शून्य	शून्य";

(ज) क्रम संख्या 37 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर "दो लाख" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(झ) क्रम संख्या 37 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"**37**क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	क्रम संख्या 36 या 37 में विनिर्दिष्ट बीमा योजनाओं के पुन: बीमा के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

(ञ) क्रम संख्या 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"40क	शीर्ष 9971	किसी बहु सेवा वाले विशेष आर्थिक जोन में स्थित वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ जिनका इंटरनेशल फाइनेशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) स्टेटस हो, के द्वारा भारत के बाहर स्थित किसी ग्राहक को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय रुपए से भिन्न किसी अन्य मुद्रा में दी गई सेवाएं स्पष्टीकरण :- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, (i) जिसे भारत सरकार ने इस निमित्त अनुमति या	शून्य	शून्य";

		मान्यता दी है या किसी विनियामक प्राधिकरण ने इस निमित्त अनुमति दी है या जो आईएफएससी के विनियमन के लिए नियुक्त कोई विनियामक है के रूप में मान्यता दी है, या (ii) जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) विनियमावली, 2015 के अंतर्गत भारत के बाहर का कोई निवासी व्यक्ति माना गया हो, या (iii) जो कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) के दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत आईएफएससी बीमा अधिकारी के रूप में पंजीकृत हो, या (iv) जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, (सेबी) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय, वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत इस निमित्त अनुमति प्रदान की हो ।		

(ट) क्रम संख्या 47 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

i. मद (क), उप मद (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;";

ii. मद (ख), उप मद (iii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(iv) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;";

iii. मद (ग), उप मद (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय ।";

(ठ) क्रम संख्या 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“56क	शीर्ष 9985	कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य ”;

(ड) क्रम संख्या 57 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में मद (छ), के पश्चात निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ज) कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं ।”

(ढ) क्रम संख्या 63 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “विदेश मंत्रालय,” को निरसित किया जाएगा, यथा:

(ण) क्रम संख्या 68 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“68क	शीर्ष 9991	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं ।	शून्य	शून्य”;

(त) क्रम संख्या 69 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

i. मद (क) के पश्चात, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(कक) किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश शुल्क के रूप में प्रतिफल के एवज में प्रवेश परीक्षा को आयोजित करके दी जाने वाली सेवा;”

ii. मद (ख) में,-

(क) उप-मद (4) में, “ माध्यमिक स्तर तक” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ख) उप मद (iv), के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(v) एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स की ऑन लाइन आपूर्ति के माध्यम से किसी शैक्षणिक संस्थान को”;

(ग) परन्तुक में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर “प्रविष्टि (ख)’ के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर “मद (ख)” के “उप मद (i), (ii) और (iii) ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते और भी कि मद (ख) के उप मद (v) में निहित कोई भी बात ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होगी जो कि - (i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक या समकक्ष स्तर तक शिक्षा के माध्यम से या (ii) किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हों";

(थ) क्रम संख्या 80 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर "सात हजार पांच सौ" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(द) क्रम संख्या 84 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"निम्नलिखित में प्रवेश के अधिकार के रूप में दी जाने वाली सेवाएं_

(क) सर्कस, नृत्य या थिएटर-मंचन जिसमें नाटक या बैले भी शामिल है;

(ख) पुरस्कार समारोह, संगीत समारोह और पैजियंट प्रतियोगिता, संगीत प्रदर्शन या कोई क्रीड़ा जो कि मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह से भिन्न हो;

(ग) मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह;

(घ) तारामंडल;

जहां उपर्युक्त मद (क), (ख), (ग) या (घ) में यथा संदर्भित समारोह या स्थानों में प्रवेश के अधिकार का प्रतिफल 500 रुपए प्रति व्यक्ति से अधिक न हो".

[फाइल संख्या 354/13/2018 -टीआयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 49/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे सा.का.नि 1408 (अ.) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।